कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांकः– एफ–56 ( ) सि0ला0जो0 / ननिज / 2022 / 3035 दिनांकः– 21/09/2022

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरों संग अभियान 2021 के तहत् सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा भगत वाटिका–द्वितीय, सिविल लाईन्स, जयपुर (पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लि0 एवं निजी खातेदारी) का ले–आउट को अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही की जानी है। ले–आउट में अनुमोदन किये जाने वाले भूखण्ड नम्बरान का प्रकाशन कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है तथा प्रस्तावित अनुमोदन ले–आउट प्लान सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ कार्यालय में खुला रखा गया है।

अतः प्रस्ताव अनुसार ले–आउट को अनुमोदित किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सुसंगत दस्तावेज लिखित आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करे। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद कोई आपत्ति / सुझाव स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार ले–आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना दृष्टान्त फोन्ट साईज में आमजन में प्रचालित राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की 04 प्रतियां इस कार्यालय में उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावे।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज